FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

बाबूखान बनाम अब्दूल सत्तार वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 मु0नं0 584 सन् 2024 जीसीएमएस नं. 2024/1084

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19-11-2024	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से **श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट** हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकील प्रार्थी ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी सुनवाई तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 448, 449, 516, कुल किता 03 कुल रकबा 0.66 हैक्ट0 राजस्व ग्राम गांवड़ी पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यहं अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की ग[illegible] परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण [illegible] जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया [illegible] 17.12.2024 को पेश हो। (मुकेश चौधरी) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

17/12/24 वकालतनामा अप्रार्थी सं. 17 की ओर से श्री गोपाललाल शर्मा एड० ने वादपत्र में वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु अवसर चाहा। वास्ते जवाब व तामील आदेश दिनांक 20/2/25 को पेश हो।

20/02/2025 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30/04/25 को पेश हो।

30/4/25

पत्रावली पेश हुई वकुलाए उपस्थित। पत्रावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18.7.25 को पेश हो।

18/7 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए नपास्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/09/25 को पेश हों।

18/9/25 प्रार्थी द्वारा पत्रावली विड्रा किये जाने हेतु प्रा०पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना बाबत विड्रा पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारान के आपस में राजीनामा होने से कोई विवाद शेष नहीं रहा। इस कारण प्रार्थीगण प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः पत्रावली विड्रा फरमाने की कृपा करें। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

बाकुछ्या में

Signature Not Ve

Digitally signed by Ra
Yadav
Date: 2025.10.06 15:5
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बाबत विड्रा करने न्यायहित में स्वीकार किया जाकर कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो।	

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:54:04 IST
Reason: SelfAttested